बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एव विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०2 / 19–25 / 88 / 05 / पटना, दिनांकः– 04/01/2024

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-13178 / 2018 ईश्वर दयाल बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक–13.12.2021 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री ईश्वर दयाल, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहद्दीनगर, समस्तीपुर को निदेशालय के का०आ०सं०–291 सहपठित ज्ञापांक–1658 दिनांक–20.12.2021 द्वारा योगदान स्वीकृति की तिथि–20.12.2021 से निलंबित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) के तहत श्री ईश्वर दयाल, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहद्दीनगर, समस्तीपुर सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से गठित आरोप पत्र पर निदेशालय के पत्रांक–74 दिनांक–06.01.2022 एवं पत्रांक–384 दिनांक–28.02.2022 द्वारा अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री ईश्वर दयाल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत अभ्यावेदन संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण उसे अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत निदेशालय के का०आ०सं०–118 सहपठित ज्ञापांक–606 दिनांक–05.04.2022 द्वारा श्री दयाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। निदेशालय के का०आ०सं०–129 सहपठित ज्ञापांक–889 दिनांक–13.05.2019 द्वारा आर्थिक अपराध थाना कांड सं०–08 / 2014 दिनांक–18.02.2014, धारा–13(2) सहपठित धारा–13(1)(ई०) संशोधित धारा–13(1)(b) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के अधीन इनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान किया गया।

श्री ईश्वर दयाल के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के द्वितीय भाग–अवचार या कदाचार के लाछनों का सार में निम्न आरोप गठित किये गये :–

अपर सचिव –सह– मुख्य निगरानी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–182949 दिनांक–11.04.2014 द्वारा आपके भ्रष्ट क्रिया–कलापों द्वारा आय से अधिक परिसम्पतियाँ अर्जित किये जाने संबंधी लगाये गये आरोप निम्नवत हैः–

(i) आपके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन की अवधि में अपने ज्ञात वैध श्रोतों से प्राप्त आय के अतिरिक्त भ्रष्ट एवं नाजायज तरीके से स्वंय तथा परिजनों के नाम पर अकूत चल एवं अचल सम्पति अर्जित किया गया है, जो आपके ज्ञात श्रोतों से लगभग 48,10,569.00 रू० अधिक पायी गयी है। आपके द्वारा नाजायज एवं भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गयी राशि, भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 की धारा–13(2) सहपठित धारा–13(1)(ई०) के तहत संज्ञेय अपराध है।

(ii) भ्रष्ट क्रिया कलापों द्वारा आय से ज्ञात श्रोतों से काफी अधिक परिसम्पतियाँ अर्जित करने के कारण आपके विरूद्ध आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–08 / 2014 दिनांक–18.02.2014 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(ग) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया था।

(iii) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के का०आ०सं०–129 सहपठित ज्ञापांक–889 दिनांक–13.05.2019 द्वारा आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–08 / 2014 दिनांक–18.02.2014, धारा–13(2) सहपठित धारा–13(1)(ई०) संशोधित धारा–13(1)(b) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के अधीन आपके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी गयी है।

उपर्युक्त कृत कार्रवाई आपके घोर अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं भ्रष्ट आचरण का परिचायक है।''

अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–151 दिनांक–02.08.2022 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न मंतव्य दिया गया :–

''संलग्न तथ्यों एवं साक्ष्यों के परिशीलन एवं परीक्षण से स्पष्ट है कि आरोपी को अपना पक्ष रखने हेतु बार–बार मौका दिया गया, इसके बावजूद भी आरोपी द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी इस मामले को लटकाये रखने के उद्देश्य से अपना पक्ष नहीं रखना चाह रहे हैं अथवा उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा उन्हें अपने ऊपर लगाये गये आरोप स्वीकार्य है। उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि आरोपी अपने ज्ञात वैध श्रोतों से प्राप्त आय के अतिरिक्त भ्रष्ट एवं नाजायज तरीके से स्वयं तथा परिजनों के नाम पर अकूत चल एवं अचल संपति अर्जित किया है।

आरोपी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप संख्या–01 से 03 (द्वितीय भाग) एवं 01 से 04 (तृतीय भाग) प्रमाणित होते हैं।''

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होते हैं, के समर्पित संचालन प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) में किये गये प्रावधान के तहत श्री ईश्वर दयाल से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री दयाल द्वारा समर्पित अपने अभ्यावेदन में दिये गये तथ्य एवं साक्ष्य पर निदेशालय के पत्रांक–2221 दिनांक–21.12.2022 द्वारा श्री ईश्वर दयाल द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के साथ संलग्न गणना चार्ट तथा साक्ष्य संलग्न कर भेजते हुए उसपर उनका पक्ष सुनते हुए अपने अभिमत के साथ संचालन प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी से किया गया।

उक्त के आलोक में अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–151 दिनांक–18.05.2023 द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न मंतव्य दिया गया :–

''आरोपी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, साक्ष्य / अन्य कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा इनके सम्पति का आकलन कुछ मामलों में Inflated है। अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा समर्पित

अंतिम जाँच प्रतिवेदन/साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की गयी है। अतः आरोपी को पूर्णतः दोषमुक्त नहीं माना जा सकता है। विषयांकित मामले में सरकारी अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, पटना का मंतव्य भी प्राप्त की गयी है।

संलग्न तथ्यों एवं साक्ष्यों तथा सरकारी अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, पटना का मंतव्य के परिशीलन एवं परीक्षण से आरोपी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।"

अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–151 दिनांक–18.05.2023 द्वारा श्री ईश्वर दयाल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त संचालन प्रतिवेदन के मंतव्य में पहले अंकित कि 'अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा समर्पित अंतिम जाँच प्रतिवेदन/साक्ष्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित की गई है, लेकिन अंत में आरोपी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है,' के समर्पित विरोधाभाषी प्रतिवेदन पर निदेशालय के पत्रांक–1104 दिनांक–27.06.2023 के साथ प्राप्त संचालन प्रतिवेदन का मूल अभिलेख संलग्न कर भेजते हुए अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी से सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र पत्रांक–15548 दिनांक–16.12.2017 में किये गये प्रावधान के तहत स्पष्ट मंतव्य के साथ संचालन प्रतिवेदन भेजने का अनुरोध किया गया।

उक्त पर अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–246 दिनांक–19.07.2023 द्वारा श्री ईश्वर दयाल के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का पुनर्परीक्षण करते हुए संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया मंतव्य निम्नवत् है :–

"अभिलेख में संलग्न साक्ष्य/अन्य कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा समर्पित अंतिम जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन की अवधि में अपने ज्ञात वैध श्रोतों से प्राप्त आय के अतिरिक्त भ्रष्ट एवं नजायज तरीके से स्वयं तथा परिजनों के नाम पर आय से अधिक सम्पति अर्जित की गई है।

चूँकि आरोपी द्वारा वैध कमाई से अधिक धन अर्जित की गई है, ऐसे में इन्हें निर्दोष नहीं करार दिया जा सकता है। Quantum of illegal earning में difference हो सकता है, परन्तु आय से अधिक कमाई का मामला सिद्ध होता है।

संलग्न तथ्यों एवं साक्ष्यों के पुनर्परीक्षण से आरोपी पर प्रपत्र 'क' में गठित आरोप प्रमाणित होता है।"

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने के समर्पित प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत श्री ईश्वर दयाल से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। श्री ईश्वर दयाल ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

"माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.-5042/2016 में न्याय निदेश है कि विभागीय कार्यवाही में FIR को साक्ष्य के रूप में नहीं लिया

जा सकता है। परन्तु द्वितीयक जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा अनुसंधान पदाधिकारी, आर्थिक अपराध इकाई के FIR के आधार पर उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित बताया गया है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा निदेशालय से मांगी गयी द्वितीयक जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपों को प्रमाणित बताया गया है, जो Administrative Biasness का द्योतक है। संचालन पदाधिकारी का दोनों जाँच प्रतिवेदन का मंतव्य अपने आप में विरोधाभाषी है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी को उनके द्वारा दिये गये साक्ष्यों के आधार पर अपने मंतव्य में अनुसंधान पदाधिकारी, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा उनके संपति का किये गये आकलित राशि को प्रथम जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा आकलित दर को Inflated बताया गया है, जिसके आधार पर संचालन के क्रम में उनके द्वारा इस विषय से संबंधित पदाधिकारियों को प्रति परीक्षण हेतु विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में बुलाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उन्हें उपस्थित नहीं किया गया।

संचालन पदाधिकारी से आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना द्वारा उनके जब्त किये गये जिन साक्ष्यों/कागजातों के आधार पर उनपर आरोप लगाये गये हैं, की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

संचालन पदाधिकारी से विभिन्न वर्षों में क्रय किये गये सामग्री/सम्पति का दर का आकलन में अपनाई गई मापदण्ड से संबंधित साक्ष्यों/कागजातों को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार उनके विरूद्ध चलाई गई विभागीय कार्यवाही में प्रक्रियाओं का उल्लंघन (Violation of Procedure), Administrative Biasness का द्योतक है जिसके कारण उन्हें नैसर्गिक न्याय से वंचित होना पड़ा। साथ ही उन्हें अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

उनके द्वारा समर्पित साक्ष्य के जाँच से उनके विरूद्ध आय से अधिक संपति का आरोप निराधार है। संक्षिप्त में ब्यौरा निम्नवत है :--

(i) अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा उनके संपति का आकलन में वास्तविक राशि से अधिक राशि (Inflated) जोड़ा गया है जिसका साक्ष्य उनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान समर्पित किया गया था। बैंको से प्राप्त एवं अन्य सरकारी कागजातों द्वारा Inflated राशि कुल Inflated राशि 4461027.77 है जिसका विवरण निम्न है :--

(i) Cost of Land में बढ़ी हुई राशि -- 313000
(ii) Stamp Duty में बढ़ी हुई राशि -- 25940
(iii) Registration Fee में बढ़ी हुई राशि -- 312129.00
(iv) Charge Sheet में ब्य ब्याना शीर्ष के अंतर्गत बढ़ी हुई राशि -- 2066000

नोट -- चूँकि यह राशि रजिस्टर्ड डिड में लिया गया है यहाँ पर दुबारा लिया जा रहा है।

(ii) अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा अंतिम जाँच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित बताया गया। लेकिन उनके द्वारा उन आरोपों को सरकारी दस्तावेजों यथा--बैंक स्टेटमेंट, डिड आदि द्वारा सही स्थिति को बताने का कार्य किया गया है जिसके अध्ययन से उनपर कोई आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।

प्रथम जाँच प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों और निवेदन को स्वीकार किया गया जिसके कारण आर्थिक अपराध ईकाई के अनुसंधान पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के गलत आकलन/गणना को प्रमाणित किया गया और मंतव्य दिया गया कि अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा Inflated किया गया है जिसका विवरणी बिन्दुवार निम्न है :–

(i) Income from salary & allowance	– 51,90,746.00
(ii) Income from bank investment & other income (intt.)	– 534196.39
(iii) Income from group insurance/pay salary	– 66929.00
(iv) Pension	– 36000.00
(v) Gross receipt from booking of flat	– 4135000.00
(vi) LIC Money back	– 80000.00
(vii) Sale process of old Jewellry	– 256687.00
Total	– 1,02,99,558.39

उनके विरूद्ध चलायी गयी विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा न्यायसंगत प्रणाली एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत नियमों का अनुपालन नहीं किया गया है। उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य/कागजातों को संज्ञान में न लेते हुए अनुसंधान पदाधिकारी, आर्थिक अपराध ईकाई के आधार पर तथाकथित आरोपों को प्रमाणित बताया गया है।

उनके विरूद्ध अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा उनके संपति के मूल्य को वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य/दर दिखाते हुए आय से अधिक संपति का तथाकथित आरोपों की रचना की गई। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्य/कागजातों से स्पष्ट है कि उनके उपर लगाये गये आरोप गलत एवं निराधार है।''

श्री ईश्वर दयाल द्वारा अपने अभ्यावेदन में प्रायः उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो इनके द्वारा पूर्व में समर्पित अपने अभ्यावेदन में किया गया है, जिसपर विचार कर संचालन पदाधिकारी द्वारा संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। इनके द्वारा किसी नये तथ्य का उल्लेख अपने अभ्यावेदन में नहीं किया गया है।

श्री ईश्वर दयाल के आवेदन में उल्लेखित तथ्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा आय से अधिक सम्पति अर्जित किया गया है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः श्री ईश्वर दयाल का अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री ईश्वर दयाल, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहद्दीनगर, समस्तीपुर सम्प्रति

अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार सरकरी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(ix) के तहत **आदेश निर्गत की तिथि से अनिवार्य सेवानिवृति करने संबंधी दण्ड** अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

उक्त के आलोक में श्री दयाल को बिहार सेवा संहिता के नियम–227 एवं बिहार पेंशन नियमावली के नियम–46(क) एवं 27 में संगत प्रावधानों के तहत सेवान्त लाभ के मामले में नियमानुकूल कार्रवाई की जाय।

ह०/–

(संजय कुमार पंसारी)
निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०2/19–25/88/ 30 /पटना, दिनांकः–04/01/2024

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर सचिव–सह–मुख्य निगरानी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–182949 दिनांक–11.04.2014 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई–3, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–674/आ०अप० दिनांक–19.02.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. उप निदेशक (सां०), तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार,पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

9. श्री ईश्वर दयाल, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मोहद्दीनगर, समस्तीपुर सम्प्रति अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ प्रेषित।

03/01/24
निदेशक